न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खींवसर (नागौर)

बइजलास श्री राजकेश मीना आर.ए.एस

व अपील संख्या :– 13/2012

ाण्टस :–

1. गंगा पुत्री स्व. जसाराम पत्नी जीवणराम जाति मेघवाल निवासी देउ हाल निवासी पांचलासिद्वा तहसील खींवसर जिला नागौर
2. सुरजा पुत्री स्व. जसाराम पत्नी मांगुराम जाति मेघवाल निवासी देउ हाल निवासी आचिणा तहसील खींवसर जिला नागौर
3. दाखु पुत्री स्व. जसाराम पत्नी भागाराम जाति मेघवाल निवासी देउ हाल निवासी आचिणा तहसील खींवसर जिला नागौर

ाडेण्टस

1. श्री रामूराम पुत्र स्व. पेमाराम
2. श्री सुगनाराम पुत्र स्व. पेमाराम
3. श्री जगराम पुत्र स्व. अखाराम
4. श्री नारूराम पुत्र स्व. पुनाराम
5. श्री पप्पुराम पुत्र स्व. पुनाराम
6. श्री बादरराम पुत्र स्व. दीपाराम
7. श्री मगंलाराम पुत्र स्व. दीपाराम
8. श्री शेराराम पुत्र स्व. दीपाराम
9. श्री नेनाराम पुत्र स्व. दीपाराम जातियान मेघवाल (भाम्बी) निवासीगण ग्राम देउ तहसील खींवसर जिला नागौर
10. सरपंच ग्राम पंचायत देउ
11. श्रीमति हीरकी पत्नि दीपाराम जाति नायक निवासी देउ

वकील **पक्षकारान**

1. वकील अपीलांण्ट :– श्री बाबूलाल खोजा
2. वकील रेस्पोडेण्टान :––

अपील अधीन धारा 75 एलआरएक्ट अपील विरूद्व नामान्तरण संख्या 402 ग्राम देउ के संबध में पारित आदेश दिनांक 24.12.1988

आदेश

दिनांक 26.07.2021

उक्त अपील अपीलांट्स ने जरिये अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्व प्रस्तुत की जिसका संक्षिप्त सार इस प्रकार से है कि अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 9 का एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार है जो सभी गिदाराम के वारीस उतराधिकारीगण है जिनकी वशांवली निम्न प्रकार से है :–

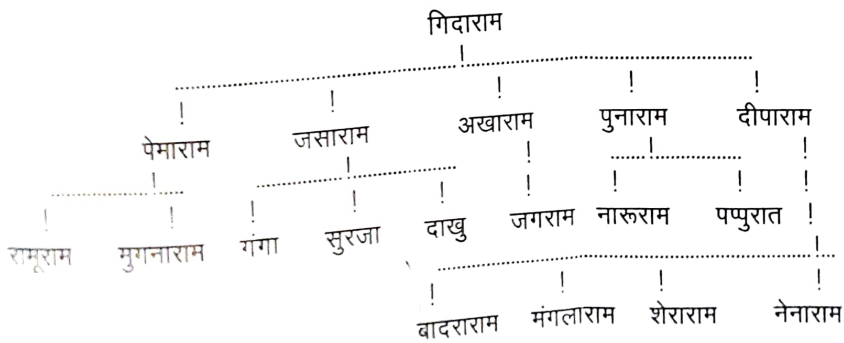

उपखण्ड अधिकारी
खींवसर (नागौर)

क्त वशांवली से स्पष्ट है कि अपीलांट्स के पिता जसाराम वगैराह कुल पाचं भाई पेमाराम, राम, पुनाराम, दीपाराम पुत्रगण गिदाराम थे और अपीलाट्स के कोई जाईन्दा भाई नहीं होने से लांट्स के पिता जसाराम व उनकी पत्नी के देहान्त के पश्चात उनकी उतराधिकारीगण एक मात्र लांट्स तीनों पुत्रीयां ही हुई व है। अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 9 के संयुक्त कब्जा त के पुश्तैनी खातेदारी की भूमि खसरा नबंर 478 रकबा 29.19 बीघा, खसरा नबंर 480 रकबा 14 बीघा, खसरा नबंर 483 रकबा 0.07 बीघा गे.मु. ढाणी वाके सरहद मौजा देउ तहसील खींवसर स्थित है जो राजस्व रेकर्ड से साबित है उपरोक्त खेताय में वंशावली में दर्ज अनुसार गिदाराम के ों पुत्रो का बहिस्सा बराबर 1/5 – 1/5 हक हिस्सा था। तथा उसी अनुसार पाचों पुत्रगण खिक विभाजन अनुसार अलग अलग काबिज रहकर काश्त करते आ रहे थे और अपीलाण्ट के ा जसाराम के 1/5 हिस्सो पर जसाराम व अपीलांट्स का संयुक्त कब्जा काश्त था और ीलांट के पिता व माता के देहान्त के पश्चात अपीलांट के कोई जाईन्दा भाई नहीं होने से अकेली ीलांट्स का 1/5 हिस्से पर बतौर मालिक कब्जा काश्त रहता चला आ रहा है और भूमि पुश्तैनी ने व अपीलांट स्व. जसाराम की जाईन्दा पुत्रीयां होने से हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम व विधिक वधानों अनुसार अपीलांट का उक्त पुश्तैनी भूमि में अपने पिता के बंट कब्जा काश्त की 1/5 भूमि हक निहित करते है। पिछले 10–15 दिनों से अपीलांट को खुली धमकिया व ऐलानिया उक्त ूमि को बैचान गिरवी हस्तान्तरण करने की दे रहे है जिससे अपीलांट ने राजस्व रेकर्ड की नकले िकलवाई व उनको पढवाने व कानूनी सलाह लेने पर उक्त सम्पूर्ण फर्जीवाड़े व उक्त म्सयूटैशन की प्रथम दिनांक 31.08.2012 को जानकारी होने से अब अपील म्यूटैशन के विरद्व पेश की जा रही है नो तारीख जानकारी के अन्दर मियाद है जिस हेतु अलग से धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना त्र प्रस्तुत है आधार अपील में अंकित बिन्दू संख्या 1 से 4 अनुसार है।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर म्यूटैशन जैर अपील खारिज फरमाया जाकर राजस्व रेकर्ड की म्यूटैशन जैर अपील से पूर्व की स्थिति बहाल की जाकर अपीलाट्स के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत करवाया जावें।

अपीलांट्स की अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंण्टान को नोटिस जारी किया गया । रेस्पोडेण्टस संख्या 1 ता 9 के नोटिस बाद तामिल प्राप्त मगर नियत पेशी दिनांक पर न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दौराने कार्यवाही विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स ने आवेदन अधीन आदेश 1 नियम 10व सपठित धारा 151 सी.पी.सी की प्रस्तुत की गई जिसे बाद सुनसाई स्वीकार किया गया । तथा रेस्पोडेन्ट सं. 3 व 4 के नोटिस बाद तामिल प्राप्त मगर गैरहाजिर रहने से इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

इस प्रकरण के सबंधित रेकर्ड सबंधित कार्यालय से तलब किया गया।

इस प्रकरण के मूल नामान्तरण संख्या 402 प्राप्त हुए तथा उक्त नामान्तरणो का, ग्राम पचांयत बैराथलकलां का कार्यवाही रजिस्टर भिजवाने ग्राम सेवक पदेन सचिव ग्राम पंयायत देउ को लिखा गया । तो ग्राम सेवक पदेन सचिव ग्राम पंयायत देउ ने अपने पत्रांक/कमांक/एसपी–1/न्यायालय/2017–18 दिनांक 27.062017 के द्वारा निवेदन किया की आप द्वारा चाहे गए अनुसार ग्राम पचांयत देउ द्वारा पारित नामान्तरण संख्या 240 दिनांक 30.10.1977 व 47 दिनांक 21.11.2005 की स्वीकृति बाबत् पेश की गई मगर नामान्तरण संख्या 402 दिनांक 24.12.1988 की स्वीकृति के सबंध में ग्राम पचांयत की बैठक का आयोजन नहीं किया गया तथा इसके स्थान पर दिनांक 23–24.12.1988 को ग्राम सभा का आयोजन किया गया जिसमें उक्त नामान्तरण संख्या 402 का अंक नहीं है ।

उपखण्ड अधिकारी
खींवसर (नागौर)

पुनः न्यायालय हाजा के द्वारा उक्त नामान्तरण संख्या 402 दिनांक 24.12.1988 का रेकर्ड किया गया । तब रेकर्ड भिजवाते हुए ग्राम विकास अधिकारी देउ ने अपने पत्रांक न्यायालय ण/2018/19/एसपी–1 केम्प खींवसर दिनांक 29.03.2019 को निवेदन किया की दिनांक 24. 988 को ग्राम देउ की बैठक आयोजित नहीं की गयी एवं दिनांक 23 व 24.12.1988 को ग्राम की बैठक का आयोजन किया गया जिसमें नामान्तरण संख्या 402 दिनांक 24.12.1988 का न नहीं है ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट को एक पक्षीय सुना गया । विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में न किया की अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 9 के संयुक्त कब्जा काश्त के पुश्तैनी खातेदारी भूमि खसरा नबंर 478 रकबा 29.19 बीघा, खसरा नबंर 480 रकबा 83.14 बीघा, खसरा नबंर 483 बा 0.07 बीघा गे.मु. ढाणी वाके सरहद मौजा देउ तहसील खींवसर में स्थित है जो राजस्व रेकर्ड साबित है उपरोक्त खेताय में वंशावली में दर्ज अनुसार गिदाराम के पाचों पुत्रो का बहिस्सा बराबर /5 – 1/5 हक हिस्सा था। तथा उसी अनुसार पाचों पुत्रगण मौखिक विभाजन अनुसार अलग लग काबिज रहकर काश्त करते आ रहे थे और अपीलाण्ट के पिता जसाराम के 1/5 हिस्सो पर साराम व अपीलांट्स का संयुक्त कब्जा काश्त था और अपीलांट के पिता व माता के देहान्त के श्चात अपीलांट के कोई जाईन्दा भाई नहीं होने से अकेली अपीलांट्स का 1/5 हिस्से पर बतौर ालिक कब्जा काश्त रहता चला आ रहा है और भूमि पुश्तैनी होने व अपीलांट स्व. जसाराम की ाईन्दा पुत्रीयां होने से हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम व विधिक प्रावधानों अनुसार अपीलांट का उक्त ुश्तैनी भूमि में अपने पिता के बंट कब्जा काष्त की 1/5 भूमि के हक निहित करते है।

अपीलांट अपने पिता के समय से लेकर आज दिन तक लगातार उक्त पुश्तैनी भूमि पर काबिज रहकर काश्त करती आ रही है तथा अपीलांट्स स्व. जसाराम की पुत्रीया है जो स्वीकृत तथ्य है जिससे हिन्दू उतराधिकार व विधिक प्रावधानों अनुसार अपने पिता जसाराम के देहान्त के पश्चात उसकी भूमि की हकदार थी व है जिनको उनके विधिक अधिकारों से महरूम करने की बदनीयती से रेस्पोडेन्ट ने एक शडयत्रं के तहत म्यूटैशन जैर अपील गैर कानूनी तरीके से स्वीकृत करवाया है जो खारिज किया जाकर अपीलांट्स के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत करवाया जावें।

पत्रावली पर मौजुद रेकर्ड का अवलोकन किया गया । पत्रावली पर मौजुद रेकर्ड से यह सुस्पष्ट होता है की वारिसान का म्यूटैशन भरते समय विधिनुसार मौका निरीक्षण कर व सबंधित पक्षकारो की पूर्णतया जाचं कर व इस हेतु साक्ष्य लेकर म्यूटैशन भरा जाता है मगर उक्त नामान्तरण भरते समय म्यूटैशन से पूर्व किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी किया गया हो या किसी का शपथ पत्र या कोई साक्ष्य लिया गया हो, स्व. जसाराम के वारीस उतराधिकारी नहीं है सरसरी तौर पर विरासत का म्यूटैशन स्वीकृत करने में विधिक त्रुटि की है तथा अपीलांट्स स्व. जसाराम की पुत्रीया है इसके अलावा अन्य कोई सतांन नहीं है जो वशांवली से जाहीर होता है । इस प्रकार उक्त नामान्तरण स्व. जसाराम की पुत्रीयों के नाम भरा जाना था मगर कोई विधिक प्रकिया अपनाये ही नामान्तरण भर दिया गया।

ग्राम पचांयत देउ के कार्यवाही रजिस्टरों का अवलोकन से यह तथ्य जाहीर होते है की नामरान्तरण संख्या 402 दिनांक 24.12.1088 का अकंन ही इन रजिस्टरों में नही है इस बात को स्वयं ग्राम सेवक देउ ने भी स्वीकार किया की ग्राम पचांयत ने अपने पत्रांक न्यायालय प्रकरण/2018/19/एसपी–1 केम्प खींवसर दिनांक 29.03.2019 को निवेदन किया की दिनांक 24.12.1988 को ग्राम देउ की बैठक आयोजित नहीं की गयी एवं दिनांक 23 व 24.12.1988 को ग्राम सभा की बैठक का आयोजन किया गया जिसमें नामान्तरण संख्या 402 दिनांक 24.12.1988 का अंकन नहीं है तथा रेस्पोडेटान के नोटिस बाद तामिल बावजुद अनु. रहना रेस्पोडेंटान की कार्यवाही सदेंह के घेरे में आती है। अगर अपीलाण्ट की अपील पर रेस्पोडेटांन को ऐतराज होता तो रेस्पोडेंटान वकालतन या असालतन उपस्थित होकर के अपीलाण्ट की अपील का पुरजोर विरोध दर्ज करवाते मगर ऐसा कुछ भी नहीं है तथा बावजुद इतला के रेस्पोडेण्टान अनुपस्थित रहे।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर मै इस निर्णय पर पहुँचा हूँ की अपीलाण्ट के पिता स्व. ाराम के देहांत के बाद उनके वारिसान के नाम नामान्तरण भरा जाना था जो नहीं भरकर ोडेण्टस के नाम भरा गया जो सरासर गलत भरा गया है। क्योंकि स्व. जसाराम के जायन्दा या गंगा, सुरजा, दाखु पिता स्व. जसाराम है तो रेस्पोडेण्टस के नाम किस प्रकार से म्यूटैशन भरा ा। रेस्पोडेण्ट्स के नाम भरे गए म्यूटैशन का भी ग्राम पचायंत के रेकर्ड में कोई इन्द्राज नहीं है र इन्द्राज एवं बगैर कोई विधिक प्रकिया अपनाये गैा कानुनी तरिके से म्यूटैशन भर दिया गया जो ग्राम पचायंत देउ के कार्यवाही रजिस्टरों से साबित होता है ।

अतः आवेदन अधीन धारा 5 मियाद अधिनियम मय अपीलाण्ट की अपील, ग्राम पचांयत के कार्ड के आधार पर एवं बहस अपीलांट्स के आधार पर उक्त अपील को स्वीकार की जाती है इस आषय का आदेश जारी किया जाता है कि :–

आदेश

अपीलाण्ट की अपील स्वीकार की जाती है मौजा देउ का नामान्तरण सं. 402 दिनांक 4.12.1988 को, जो रेस्पोडेण्ट्स के नाम भरा गया, नामान्तरण गलत होने की वजह से निरस्त किया ाता है। तथा उक्त नामान्तरण रेस्पोडेटांन के स्थान पर अपीलांण्ट्स गंगा, सुरजा, दाखु पिता जसाराम जाति मेघवाल के नाम नामान्तरण भरने के आदेश दिये जाते है। इस आदेश की पालना तु तहसीलदार खींवसर को तहरीर जारी हो।

नोटः– उपरोक्त खसरान पर किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्त आदेश की पालना कर अवगत करावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

राजकेश मीना RAS
(उपखण्ड अधिकारी)
खींवसर

यह आदेश आज दिनांक 27.07.2021 को सरेइजलास सुनाया गया।

राजकेश मीना RAS
(उपखण्ड अधिकारी)
खींवसर